उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या-67/2016/2324 /92-1-2016-111(अधि0)/2016,

लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2016

विज्ञप्ति

श्री गिरजा शंकर सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी द्वारा पत्र संख्या-45/ग्रा0अ0वि0/2016-17, दिनांक 02-7-2016 द्वारा दी गयी नोटिस तथा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-553/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/2016-17, दिनांक 25-7-2016 द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष में उ0प्र0 मूल नियमावली-1942, के नियम-56 के खण्ड (ग) से (ड.) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल श्री गिरजा शंकर सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी द्वारा दी गयी नोटिस दिनांक 02-7-2016 के 03 मास पश्चात् की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृत्ति प्रदान करते हैं।

महेश कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

संख्या-67/2016/2324/(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

5- सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।

6- सम्बन्धित अधिकारी, श्री गिरजा शंकर सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रतन)

अनु सचिव।